



B
22.10.83

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ३६)

नई दिल्ली, लनियार, सितम्बर ३, १९८३/ जात १२, १९०५

No. 36]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 3, 1983/BHADRA 12, 1905

इस भाग में विशेष पृष्ठ संख्या वी आती है जिससे कि वह ग्रन्थ संकलन के क्षेत्र में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II — खण्ड ३ — उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(राज मंत्रालय की ओर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य लोक प्रशासनों को ओर) केन्द्रीय प्रधिकारियों द्वारा विभिन्न के अन्तर्गत आनाये और आरी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories))

गृह मंत्रालय

बिहारी

नई दिल्ली, १० अगस्त, १९८३

संकाचित् ६३९.—राज्यपति, संविधान के अनुच्छेद ३०९ के पारलक द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों का पद्धति करते हुए आसूचना घूरो, गृह मंत्रालय में लाइस के पारपदों पर भर्ती की पद्धति का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त भाव और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आसूचना घूरो, गृह मंत्रालय में लाइस

(2) ऐसे राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रदृश होगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमात्रा:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमात्रा वह होगा, जो इससे उपाधिक अनुसूची के स्तरम् २ से ५ में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंतारं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंतारं और उससे संबंधित अन्य बारें वे होंगी जो प्रधानमंत्री के स्तरम् ५ से १४ में विनिर्दिष्ट हैं।

4. विरागता, अह स्वकित—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उसके पद पर नियुक्ति का पालन नहीं होगा।

(1923)

shore at the appointed place, labour for loading of garbage from vessel and unloading of the garbage from Boat to shore, charges for the use of lifting gear

if any, transporting from landing point to the city garbage dump."

[PW|PGL-49|82]

A.N. SAKSENA, Director.

सूचना और प्रशारण भवानाशय

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1983

बा० का० नि० 652 ——राष्ट्रानि, सक्रियान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, आकाशवाणी, समृद्ध “क” भर्ती नियम, 1961¹ का और संशोधन करने के सिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अप्रृत् ——

1. (1) इन नियमों का संधिष्ठन नाम आकाशवाणी, समृद्ध “क” भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये नियम में प्रकाशन की नारीय को प्रवृत्त होंगे।

2. अकाशवाणी समृद्ध “क” भर्ती नियम, 1983 की अनुसूची में विशेष कार्य अधिकारी (कार्मिक) के पद से नियमित कम संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के व्याप पर नियमित कम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अप्रृत् ——

सूचना

पद का नाम	पदों की संख्या	अर्थकरण	वेतनमान	वयन पद	सीधे भर्ती किए सेवा में जोड़े गए जाने वाले व्यक्तियों वर्षों का फायदा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए वीक्सन और अन्य अनुनाद, नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुनाद है या नहीं	7 (क)	(8)
1	2	3	4	5	6	7	7 (क)	(8)
19. उपनिदेशक (प्रशासन) (कल्याण)	1*	साधारण केन्द्रीय सेवा समृद्ध “क” राजपत्रित के अधिकार पर परि- कर्तव्य किया जा सकता है।	1100-50-1600 (1983) *कार्यभार	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने परिवर्तन परिवर्तीकार वाले व्यक्तियों के लिए की अवधि, यदि विहित आमूझे और कोई हो वीक्सन अनुनाद प्रोलति की दशा में लागू होनी या नहीं	भर्ती की पदलि/भर्ती सीधी होनी या प्रोलति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्वानाल्तरण द्वारा भर्ती किए जाने वाली व्यक्तियों की प्रतिशतता	प्रोलति/प्रतिनियुक्ति/स्वानाल्तरण द्वारा भर्ती की दशा में व व्यक्तियाँ/ जिनसे प्रोलति/प्रतिनियुक्ति/ स्वा- नाल्तरण किया जाएंगा	यदि विभागीय प्रोलति समिति भर्ती करने में किन परि- स्थितियों में संबंध लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
--	---	---	--

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्वानाल्तरण द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्वानाल्तरण: केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों और संघ राज्य सेवा प्रशासन के अधीन एसे अधिकारी— (क) (i) जो सदृश पद धारणे किए हुए हैं या (ii) जिन्हें 700--1300 रु० या समतुल्य वेतनमान	लागू नहीं होता	जगत, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

12

13

14

दाले पर्दों पर ५ वर्ष से तो
की है, या

(iii) जिम्होनि ६५०-१२०० वा
या भगवुल्य थेनेमान दाले
पर्दों पर ३ वर्ष से तो की है
और

(iv) जिनके पास अम विविधों के
प्रशांत और गहराये लियाँ
का अनुभव है।

(प्रतिनियुक्ति स्तर अवधि, जिसमें
इस नियमित के ठीक पूर्व
उसी संगठनविभाग में किसी
अन्य कावर याद्य पद
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि
मिमिलित है, साधारणतया
३ वर्ष से अधिक नहीं होती।)

[ई० 19011/12/83-वी (ए)]
जनरलोहन साल मार्टुर, बाबर सचिव]

*मुल नियम, अवधि, आकाशयाणी (समूह "क" पर)

भर्ती नियम, 1963, शांका० निः० २४, तारीख 13-१२-१९६३ के अंशीन प्रकाशित किए गए। तत्परतात तिम्मनियुक्त संशोधन अधिसूचित किए गए हैं:-

१. अधिसूचना सं० ११/८/६२-वी(ए), तारीख ९-४-१९६४
२. अधिसूचना सं० ११/११/६२-वी(ए), तारीख १८-६-१९६४
३. अधिसूचना सं० ५/२४/६३-वी(ए), तारीख ३१-८-१९६५
४. अधिसूचना सं० ११/२/६४-वी(ए), तारीख १७-९-१९६५
५. अधिसूचना सं० ११/२/६५-वी(ए), तारीख २७-११-१९६५ (शांका० निः० नं० १८२०, तारीख ११-१२-६५)
६. अधिसूचना सं० १३/७८/६२-वी(ए), तारीख ३०-११-१९६५
७. अधिसूचना सं० ५/१५/६५-वी(ए), तारीख २८-७-१९६५
८. अधिसूचना सं० ११/८/६५-वी(ए), तारीख ३-९-१९६६
९. अधिसूचना सं० ५-३/८७-वी(ए), तारीख ७-१०-१९६७
१०. अधिसूचना सं० ६/१०७/६५-टीची०, तारीख ३-७-१९६८
११. अधिसूचना सं० ११/५/६६-वी(ए), तारीख १३-९-१९६८
१२. अधिसूचना सं० ७/५/६८-वी(ए), तारीख ९-१०-१९६८
१३. अधिसूचना सं० ५/१२/१९६८-वी(ए), तारीख १४-११-१९६८
१४. अधिसूचना सं० १२/८/६८-वी(ए), तारीख ६-६-१९६९
१५. अधिसूचना सं० १७-८-६८-वी(ए), तारीख ४-६-१९६९
१६. अधिसूचना सं० ११/५/६५-वी(ए), तारीख २-०-१९६९
१७. अधिसूचना सं० १७/२/६८-वी(ए), तारीख १०-११-१९६९
१८. अधिसूचना सं० १७/१/६९-वी(ए), तारीख २३-२-१९७०
१९. अधिसूचना सं० १७/३/६९-वी(ए), तारीख १६-०-१९७०
२०. अधिसूचना सं० १२/७०-वी(ए), तारीख १८-२-१९७१
२१. अधिसूचना सं० ५/१२/६८-वी(ए), तारीख २२-३-१९७१
२२. अधिसूचना सं० १२/७१-वी(ए), तारीख ६-१२-१९७१
२३. अधिसूचना सं० १२/७१-वी(ए), तारीख १०-१-१९७२
२४. अधिसूचना सं० १३/७०-वी(ए), तारीख १८-५-१९७२
२५. अधिसूचना सं० १९/७१-वी(ए), तारीख ६-६-१९७२
२६. अधिसूचना सं० ५/१२/६८-वी(ए), तारीख १३-६-१९७२
२७. अधिसूचना सं० १६/७१-वी(ए), तारीख ३०-६-१९७२
२८. अधिसूचना सं० १६/७०-वी(ए), तारीख ६-१२-१९७२
२९. अधिसूचना सं० १६/७१-वी(ए), तारीख ३०-६-१९७२
३०. अधिसूचना सं० ५/३९/७०-वी(ए), तारीख ३-१-१९७३
३१. अधिसूचना सं० १४/७३-वी(ए), तारीख २-६-१९७३

32. अधिसूचना सं० 1/10/71-बी(ए), तारीख 10-9-1973
 33. अधिसूचना सं० 1/3/73-बी(ए), तारीख 29-9-1973
 34. अधिसूचना सं० 1/2/71-बी(ए), तारीख 26-10-1974 (सां का० नि० सं० 1195, 9-11-74)
 35. अधिसूचना सं० 5/33/70-बी(ए), तारीख 30-10-1974 (सां का० नि० 1220, 16-11-74)
 36. अधिसूचना सं० 1/18/73-बी(ए), तारीख 18-11-1974
 37. अधिसूचना सं० 5/17/74-बी(ए), तारीख 13-2-1975 (सां का० नि० सं० 267, 22-2-75)
 38. अधिसूचना सं० 5/86/73-बी(ए), तारीख 5-4-1975
 39. अधिसूचना सं० 1/1/71-बी(ए), तारीख 30-6-1975 (सां का० नि० सं० 895, 19-7-75)
 40. अधिसूचना सं० 13/75-बी(ए), तारीख 19-12-1975
 41. अधिसूचना सं० 1/8/75-बी(ए), तारीख 20-2-1976
 42. अधिसूचना सं० 5/4/75-बी(ए), तारीख 23-3-1976
 43. अधिसूचना सं० 5/10/76-बी(ए), तारीख 7-5-1976
 44. अधिसूचना सं० 1/1/73-बी(ए), तारीख 10-7-1976
 45. अधिसूचना सं० 12018/5/16-बी(ए), तारीख 16-8-1977 (सां का० नि० सं० 1184, 10-9-77)
 46. अधिसूचना सं० 12018/7/77-बी(ए), तारीख 15-9-1977 (सां का० नि० सं० 1358, 8-10-1977)
 47. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी(ए), तारीख 15-12-1977
 48. अधिसूचना सं० 12018/4/76-बी(ए), तारीख 20-2-1978
 49. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी(ए), तारीख 5-5-1978
 50. अधिसूचना सं० 12018/8/78-बी(ए), तारीख 26-12-1978 (सां का० नि० सं० 94/20/20-1-1978)
 51. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी(ए), तारीख 18-4-1978
 52. अधिसूचना सं० 12018/1/76-बी(ए), तारीख 18-7-1980
 53. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी(ए), तारीख 1-11-1980
 54. अधिसूचना सं० 12018/8/77-बी(ए), तारीख 9-1-1981
 55. अधिसूचना सं० 12024/13/76-बी(ए), तारीख 8-7-1981 (सां का० नि० 722, 1-8-1981)
 56. अधिसूचना सं० 12018/1/81-बी(ए), तारीख 26-9-1981
 57. अधिसूचना सं० 12018/1/81-बी(ए), तारीख 31-8-1981 (सां का० नि० सं० 860, 19-9-1981)
 58. अधिसूचना सं० 12018/4/76-बी(ए), तारीख 31-7-1982
 59. अधिसूचना सं० 12018/1/81-बी(ए), तारीख 1-3-1983.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 11th August, 1983

G.S.R. 652.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio, Group 'A' Recruitment Rules, 1963, *namely :—

(1) These rules may be called the All India Radio Group 'A' Recruitment (Second Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio Group 'A' Recruitment Rules, 1963, for serial No. 19 relating to the post of Officer on Special Duty (Personnel) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

S.No.	Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post of non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	
1	2	3	4	5	6	7	7(a)	8	
*19. Deputy Director Administration (Welfare)	1 (1983)	General Service Subject to variation	Central Group 'A' Gazetted.	Rs. 1100- 50-1600.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made and percentage of the vacancies to be filled by various methods	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable.	Not applicable.	By transfer on deputation	<p>Transfer on Deputation : Officers under the Central Government/State Governments and Union Territory Administrations —</p> <p>(a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 5 years service in posts in the scale of Rs.700-1300 or equivalent; or (iii) with 8 years service in posts in the scale of Rs.650-1200 or equivalent; and</p> <p>(b) having experience of administration of Labour Laws and allied matters.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same Organisation/Department shall ordinarily not exceed 3 years).</p>	Not applicable.	Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission."

[No. 19011/12/81-B(A)]
J. L. MATHUR, Under Secy.

*Note :- The Principal Rules called the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, were notified vide GSR No. 24 dated 23-12-1963. Subsequently the following amendments were notified :—

1. Notification No. 11/8/62-B(A) dated 9-4-1964.
2. " No.11/11/62-B(A) dated 18-6-1964.
3. " No. 5/24/62-B(A) dated 31-8-1965.
4. " No.11/2/64-B(A) dated 17-9-1965.
5. " No.11/2/64-B(A) dated 27-11-1965 (GSR No. 1820, dt. 11-12-65)
6. " No.13/78/62-B(A) dated 30-11-1965.
7. " No.5/15/65-B(A) dated 28-7-1965.
8. " No.11/8/65-B(A) dated 9-9-1966.
9. " No.5/3/67-B(A) dated 7-10-1967.
10. " No.6/107/65-TV dated 3-7-1968.
11. " No.11/5/65-B(A) dated 13-9-1968.
12. " No.7/5/68-B(A) dated 9-10-1968.
13. " No.5/12/68-B(A) dated 14-11-1968.
14. " No.17/8/68-B(A) dated 6-6-1969.
15. " No.17/6/68-B(A) dated 4-6-1969.
16. " No.11/5/65-B(A) dated 2-9-1969.
17. " No.17/2/69-B(A) dated 19-11-1969.
18. " No.17/1/69-B(A) dated 23-2-1970.
19. " No.17/3/69-B(A) dated 16-9-1970.
20. " No.1/2/70-B(A) dated 18-2-1971.
21. " No.5/12/68-B(A) dated 22-3-1971.
22. " No.1/2/71-B(A) dated 6-12-1971.
23. " No.1/2/71-B(A) dated 10-1-1972.
24. " No.1/3/70-B(A) dated 18-5-1972.
25. " No.1/9/71-B(A) dated 6-6-1972.

26. Notification No.5/12/68-B(A) dated 13-6-1972.
 27. " No.1/6/71-B(A) dated 30-9-1972.
 28. " No. 1/6/70-B(A) dated 6-12-1972.
 29. " No.1/6/71-B(A) dated 30-9-1972.
 30. " No.5/39/70-TV dated 3-1-1973.
 31. " No.1/4/73-B(A) dated 2-6-1973.
 32. " No.1/10/71-B(A) dated 10-9-1973.
 33. " No.1/2/73-B(A) dated 29-9-1973.
 34. " No.1/2/72-B(A) dated 26-10-1974 (GSR No. 1195, dt. 9-11-1974)
 35. " No.5/33/70-B(A) dated 30-10-1974 (GSR No. 1220, dt. 16-11-74)
 36. " No.1/18/73-B(A) dated 18-11-1974.
 37. " No.5/17/74-B(A) dated 13-2-1975 (GSR No. 267, dt. 22-2-75)
 38. " No.5/66/73-TV dated 5-4-1975.
 39. " No.1/1/71-B(A) dated 30-6-1975 (GSR No. 895, dt. 19-7-75)
 40. " No.1/3/75-B(A) dated 19-12-1975.
 41. " No.1/8/75-B(A) dated 20-2-1976.
 42. " No.5/14/75-B(A) dated 23-3-1976.
 43. " No.5/10/76-B(A) dated 7-5-1976.
 44. " No.1/1/73-B(A) dated 19-7-1976.
 45. " No.12018/5/76-B(A) dated 16-8-1977 (GSR No. 1184, dt. 10-9-77)
 46. " No.12019/7/77-B(A) dated 15-9-1977 (GSR No. 1358, dt. 8-10-1977)
 47. " No.12018/5/76-B(A) dated 15-12-1977.
 48. " No.12018/4/76-B(A) dated 20-2-1978.
 49. " No.12018/5/76-B(A) dated 5-5-1978.
 50. " No.12019/8/78-B(A) dated 26-12-78. (GSR No. 94, dated 20-1-1979)
 51. " No.12018/5/76-B(A) dated 18-4-1978.
 52. " No.12018/1/76-B(A) dated 18-7-1980.
 53. " No.12018/5/76-B(A) dated 1-11-1980.
 54. " No.12019/9/77-B(A) dated 9-1-1981.
 55. " No.12024/13/76-B(A) dated 8-7-1981. (GSR No. 722, dated 1-8-81)
 56. " No.12019/1/81-B(A) dated 26-9-1981.
 57. " No.12018/1/81-B(A) dated 31-8-1981. (GSR No. 860, dated 19-9-1981)
 58. " No.12018/4/76-B(A) dated 31-7-1982.
 59. " No.12019/1/81-B(A) dated 1-3-83.

धर्म तथा पूर्वार्थ संत्रासय

(पूर्वार्थ विवाह)

नई शिल्पी, 19 अगस्त, 1983

संग का० नि० 633 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परम्परा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति इसके द्वारा वर्णकारण परियोजना (स्वास्थ्य संगठन) के समूह “ग” और समूह “ब” के पदों पर भर्ती की पदाति, 1973 में और संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अधिकारी :—

1. ये नियम वर्णकारण परियोजना (स्वास्थ्य संगठन) समूह “ग” और समूह “ब” पद पर भर्ती (संशोधन) नियम, 1983 कहलायेंगे।

(१) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लगू होंगे।

2. वर्णकारण परियोजना (स्वास्थ्य संगठन) समूह “ग” और समूह “ब” पद भर्ती नियम, 1973 की अनुसूची में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद से सम्बन्धित मरम् तंत्र और उसकी प्रविच्छियों के स्थान पर निम्न पद तथा प्रविच्छियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अधिकारी :—

अनुसूची

नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देवनामार्त	चयन पद	मोटी भर्ती वाले उम्मीदवारों के अधिकारी गैर- अधिकारी गैर-	मोटी भर्ती वाले उम्मीदवारों से संबन्धित अधिकारी गैर- अधिकारी गैर-
1	2	3	4	5	6	7
3. प्रयोगशाला तक-	20	समाप्त केन्द्रीय सेवा	380-12-500-००००	लागू नहीं	28 वर्ष	आवश्यक :
सीशियन		समूह “ग” अराज- परिव अलिपिक- धर्मीय	15-560८०	होता	(केन्द्रीय सरकार की हितायतें तथा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये ३५ वर्ष तक की छूट)	1. संग्रिक अधिकारी समकालीन 2. किसी मात्रा प्राप्त संस्था से प्रयोगशाला नक्शेशन पाठ्य- क्रम पूरा करने का प्रमाण-पत्र